

आयकर आयुक्त, बिहार एवं उड़ीसा, पटना

बनाम

महाराज कुमार कमल सिंह

13 फ़रवरी, 1973

[के. एस. हेगड़े, पी. जगनमोहन रेड्डी तथा एच. आर. खन्ना, न्यायमूर्तिगण]

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 16(3)(क)(क)(iii), धारा 9(4)(क) — अविभाज्य संपदा का धारक, संपदा की संपत्तियाँ अपनी पत्नी को अंतरण करता है — उक्त संपत्तियों से प्राप्त आय क्या निर्धार्य व्यक्ति की आय में सम्मिलित किए जाने के लिए उत्तरदायी है — धारा 9(4)(क) द्वारा निर्मित विधिक कल्पना, धारा 16(3)(क)(iii) के अंतर्गत निर्धार्य व्यक्ति को उत्तरदायी बनाती है।

निर्धार्य-उत्तरदाता अविभाज्य संपदा का धारक है। 23 नवम्बर 1963 को एक अनुबंध विलेख द्वारा उसने अनुपूरक भरण-पोषण अनुदान के रूप में अपनी पत्नी को जीवन-काल के लिए दो परिसरों का अनुदान दिया। यह एक प्रत्यक्ष अंतरण था, जो स्वीकृत रूप से न तो किसी प्रतिफल के लिए किया गया था और न ही पृथक रहने के किसी समझौते के संबंध में। निर्धारण वर्षों 1957-58 से 1960-61 के दौरान, इन गृह संपत्तियों से प्राप्त आय को अधिनियम की धारा 16(3)(क)(iii) के अंतर्गत निर्धार्य की कुल आय में सम्मिलित किया गया। निर्धार्य के आग्रह पर यह विषय उच्च न्यायालय को संदर्भित किया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष विचार हेतु दो प्रश्न उत्पन्न हुए, अर्थात् — (i) क्या अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचने में उचित था कि धारा 16(3)(क)(iii) के उपबंध संपत्ति से उत्पन्न आय पर लागू होते हैं; तथा (ii) क्या अधिकरण यह मानने में सही था कि उक्त उपबंधों के अंतर्गत आय को धारा 9(2) के प्रथम उपबंध के अधीन आवासीय गृह के शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजनार्थ कुल आय में सम्मिलित किया जाना है। उच्च न्यायालय ने दोनों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर निर्धार्य के पक्ष में दिया और, इसलिए, दूसरे प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा। प्रमाणपत्र द्वारा इस न्यायालय में अपील में, विचारणीय प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या निर्धार्य द्वारा अंतरण की गई गृह संपत्तियों से प्राप्त आय निर्धार्य की आय में सम्मिलित किए जाने के लिए उत्तरदायी थी।

अभिनिर्धारित किया : (i) अविभाज्य संपदा की घटनाएँ इस देश के न्यायालयों के निर्णयों द्वारा, तथा न्यायिक समिति के निर्णयों द्वारा भी, भली-भाँति स्थापित हो चुकी हैं। अविभाज्य संपदा के धारक को अविभाज्य संपदा के साथ-साथ उससे उत्पन्न आय के उपभोग और निपटान की अनियंत्रित शक्ति होती है; तथापि, वह संपदा उस हिन्दू संयुक्त परिवार की होती है, जिसका धारक एक सदस्य होता है। किसी विपरीत प्रथा के अधीन, अविभाज्य संपदा के धारक की मृत्यु पर, संपदा उत्तरजीविता द्वारा अवलंबित होती है। [524 जी-एच]

बैजनाथ प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम तेज बाली, एल.आर. 48 आई.ए. 195; शिवा प्रसाद सिंह बनाम रानी प्रयाग कुमारी देवी एवं अन्य, एल.आर. 59 आई.ए. 331; तथा आयकर आयुक्त, पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत एवं दिल्ली प्रांत, लाहौर बनाम दीवान बहादुर दीवान कृष्ण किशोर, रियासत, लाहौर, 68 आई.ए. 155 — संदर्भित।

(ii) धारा 9 में धारा 9(4) को समाविष्ट करके संशोधन किए जाने के पश्चात्, अविभाज्य संपदा के धारक के स्वामित्व वाली गृह संपत्ति से प्राप्त आय को उसकी व्यक्तिगत आय के रूप में विचार किया जाना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि निर्धार्य ने विवादित परिसरों का अपनी पत्नी के पक्ष में अंतरण न किया होता, तो उन परिसरों से प्राप्त आय को धारा 9 के अंतर्गत उसकी व्यक्तिगत आय के रूप में माना जाता। यह तर्क कि धारा 9(4)(क) एक विधिक कल्पना उत्पन्न करती है जो केवल धारा 9 के प्रयोजन तक सीमित है, भ्रामक है। धारा 9 केवल आय के एक शीर्ष से संबंधित है। धारा 9(4)(क) "इस धारा के प्रयोजन के लिए" शब्दों का प्रयोग करती है, जिसका वास्तविक अर्थ है निर्धार्य की करयोग्य आय के निर्धारण के प्रयोजन के लिए। किसी निर्धार्य पर आय के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत पृथक्-पृथक् कर नहीं लगाया जाता। अतः जब आय का कोई स्रोत, धारा 16(3)(क)(ii) में उल्लिखित दो प्रयोजनों को छोड़कर, निर्धार्य से उसकी पत्नी को अंतरण किया जाता है, तो उस स्रोत से प्राप्त आय को निर्धार्य की आय माना जाना आवश्यक है, क्योंकि निर्धार्य की संपत्ति का परिसंपत्ति उसकी पत्नी को अंतरणित हो जाती है। ऐसा निष्कर्ष धारा 9 के अंतर्गत निर्मित विधिक कल्पना का उसके सृजन के प्रयोजन से परे विस्तार नहीं करता, बल्कि मात्र उस विधिक कल्पना को प्रभाव प्रदान करता है। यह सत्य है कि किसी विधिक कल्पना का उसके सृजन के प्रयोजन से परे विस्तार नहीं किया जा सकता, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय उस विधिक कल्पना को प्रभाव न दे। [526 एच से 527 डी]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(ii), जिसने अधिनियम की धारा 9(4) का स्थान ले लिया है, उस बात को स्पष्ट करती है जो उस उपबंध में, जैसा कि वह मूल रूप में विद्यमान था, निहित थी। [527 डी-ई]

(iii) इसके आवश्यक परिणामी के रूप में यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्धार्य के आवासीय गृह का वार्षिक मूल्य, निर्धार्य की कुल आय का 10% पर परिकलित किया जाना है, जिसमें वह आय भी सम्मिलित है जो उसकी पत्नी को अंतरण की गई गृह संपत्तियों से प्राप्त होती है, जैसा कि धारा 9(2) के प्रथम उपबंध द्वारा अपेक्षित है। [527 ई-जी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1970 की दीवानी अपील संख्याएँ 297 से 300 तक.

9 अगस्त 1966 के पटना उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रमाणपत्र द्वारा अपील, जो विविध न्यायिक वाद संख्याएँ 480 से 483/ 1964 में पारित किया गया था।

वी. एस. देसाई, आई. आर. मूर्ति, एस. पी. नायर तथा आर. एन. साचेथी — अपीलकर्ता की ओर से।

एन. डी. करखनिस, संतोक सिंह तथा यू. पी. सिंह — उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय प्रदान किया गया द्वारा

हेगड़े, न्यायमूर्ति ये प्रमाणपत्र द्वारा दायर अपीलें हैं। ये पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक साझा निर्णय से उत्पन्न हुई हैं।

निर्धार्य-उत्तरदाता अविभाज्य संपदा का धारक है। 23 नवम्बर 1950 को एक अनुबंध विलेख द्वारा उसने कैमैक्स स्ट्रीट, कलकत्ता स्थित दो परिसरों को अनुपूरक खोरपोश (भरण-पोषण) अनुदान के रूप में जीवन-काल के लिए अपनी पत्नी को प्रदान किया। जिन निर्धारण वर्षों से हमारा संबंध है, अर्थात् 1957-58 से 1960-61 के दौरान, उन गृह संपत्तियों से प्राप्त आय को भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 16(3)(क)(iii) के अंतर्गत निर्धार्य की कुल आय में सम्मिलित किया गया। निर्धार्य ने उक्त समावेशन की वैधता को, प्रथम, इस आधार पर चुनौती दी कि अधिनियम की धारा 16(3)(क)(iii) संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, तथा द्वितीय, इस आधार पर कि विवादित आय को उक्त धारा के प्रयोजन के लिए उसकी आय नहीं माना जा सकता। इन आपत्तियों को अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके पश्चात्, निर्धार्य के आग्रह पर, अधिनियम की धारा 66(1) के अधीन निम्नलिखित तीन प्रश्न पटना उच्च न्यायालय को संदर्भित किए गए।

- (1) क्या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 16(3)(क)(iii) के उपबंध भारत के संविधान के अति-प्राधिकार से परे हैं?
- (2) क्या वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में उचित था कि अविभाज्य संपदा के धारक द्वारा अपनी पत्नी को उसके भरण-पोषण के लिए अंतरण की गई संपत्ति से उत्पन्न आय पर धारा 16(3)(क)(iii) के उपबंध लागू होते हैं?

(3) क्या वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि धारा 16(3)(क)(iii) के अधीन आय को धारा 9(2) के प्रथम उपबंध के अंतर्गत कुल आय के 10% पर आवासीय गृह के शुद्ध वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजनार्थ कुल आय में सम्मिलित किया जाना है?

उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धार्य की ओर से अधिवक्ता ने प्रथम प्रश्न पर किसी उत्तर के लिए आग्रह नहीं किया, स्पष्टतः इस न्यायालय के *बालाजी 'बनाम आयकर अधिकारी, विशेष अन्वेषण परिमंडल, अकोला एवं अन्य* में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत। द्वितीय प्रश्न का उत्तर निर्धार्य के पक्ष में दिया गया और उस प्रश्न पर उच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र, उच्च न्यायालय ने तृतीय प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा। तृतीय प्रश्न का उत्तर अनिवार्यतः द्वितीय प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्वितीय प्रश्न का उत्तर सही रूप से नहीं दिया गया था, तो इसका परिणाम यह होगा कि विवादित संपत्तियों से प्राप्त आय को निर्धार्य की कुल आय में सम्मिलित किया जाना होगा और निर्धार्य के आवासीय गृह से प्राप्त आय को अधिनियम की धारा 9(2) के प्रथम उपबंध के अंतर्गत उसकी कुल आय के 10% पर परिकलित किया जाना होगा। अतः निर्णीत किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कलकत्ता स्थित संपत्तियों से प्राप्त आय निर्धार्य की आय में सम्मिलित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

निर्धार्य का निर्धारण एक व्यक्ति के रूप में किया गया है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, वह अविभाज्य संपदा का धारक है। अविभाज्य संपदा की घटनाएँ इस देश के न्यायालयों के निर्णयों द्वारा तथा न्यायिक समिति के निर्णयों द्वारा भली-भाँति स्थापित हो चुकी हैं। अविभाज्य संपदा के धारक को अविभाज्य संपदा के साथ-साथ उससे उत्पन्न आय के उपभोग और निपटान की अनियंत्रित शक्ति प्राप्त होती है; तथापि, वह संपदा उस हिन्दू संयुक्त परिवार की होती है, जिसका धारक एक सदस्य होता है। किसी विपरीत प्रथा के अधीन, अविभाज्य संपदा के धारक की मृत्यु पर, संपदा उत्तरजीविता द्वारा अवलंबित होती है— *बैजनाथ प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम तेज बाली सिंह*² तथा *शिबा प्रसाद सिंह बनाम रानी प्रयाग कुमारी देवी एवं अन्य* (¹³)। *आयकर आयुक्त, पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत एवं दिल्ली प्रांत, लाहौर बनाम दीवान बहादुर दीवान कृष्ण किशोर, रईस, लाहौर* (²⁴) में, न्यायिक समिति ने अभिनिर्धारित किया कि अविभाज्य संपदा का भाग होने

1 43 आईटीआर 393

2 एलआर 48 आईए 195

3 (¹) एलआर 59 आईए 331.

4 (²) 68 आईए पी 155.

वाली किसी गृह संपत्ति से प्राप्त आय को, जैसा कि उस समय अधिनियम की धारा 9 विद्यमान थी, निर्धार्य की व्यक्तिगत आय के रूप में नहीं माना जा सकता। उसमें न्यायिक समिति ने यह अवलोकन किया :

“ बैजनाथ प्रसाद सिंह बनाम तेज बाली सिंह (उपरोक्त) में बोर्ड के निर्णय के बाद से यह विधि स्थापित हो चुकी है कि संपत्ति, यद्यपि अविभाज्य हो, फिर भी संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति हो सकती है, और ऐसे मामलों में उत्तराधिकारी का निर्धारण मिताक्षरा के सामान्य नियम के अनुसार किया जाता है। बैजनाथ के प्रकरण (उपरोक्त) में बोर्ड की ओर से लॉर्ड डुनेडिन द्वारा दिए गए निर्णय के अंतिम शब्द उसी आशय के हैं, और उस वाद में, तथा उसके अनुसरण में आए शिबा प्रसाद सिंह बनाम प्रयाग कुमारी देवी (उपरोक्त) में भी, “समूचे स्थिति का मूल सूत्र” यह नहीं है कि जो संपत्ति संयुक्त संपत्ति नहीं है वह प्रथा के कारण इस प्रकार अवलंबित होती है मानो वह संयुक्त हो, बल्कि यह है कि सामान्य विधि प्रथा से परे सभी विषयों को नियंत्रित करती है, कि अविभाज्यता की प्रथा उत्तराधिकार को प्रभावित नहीं करती क्योंकि उत्तरजीविता का अधिकार उस प्रथा से असंगत नहीं है; अतः संपदा संयुक्त परिवार की संपत्ति का स्वरूप बनाए रखती है और सामान्य विधि के अनुसार उस व्यक्ति पर अवलंबित होती है, जो तथ्य और विधि दोनों में संपदा के संबंध में संयुक्त है और जो वरिष्ठ शाखा का वरिष्ठ सदस्य भी है।”

उपर्युक्त तर्क के आधार पर, माननीय पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि “अधिनियम की धारा 9 के प्रयोजन के लिए” विवादित आय संपदा के धारक की व्यक्तिगत आय नहीं है। उस निर्णय के बाद अधिनियम की धारा 9 में धारा 9(4) को समाविष्ट करके संशोधन किया गया, जो इस प्रकार है :

“इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) अविभाज्य संपदा के धारक को उस संपदा में सम्मिलित समस्त संपत्तियों का व्यक्तिगत स्वामी माना जाएगा।”

(ख) x x x

अतः यह स्पष्ट है कि धारा 9 में संशोधन किए जाने के पश्चात्, अविभाज्य संपदा के धारक के स्वामित्व वाली गृह संपत्ति से प्राप्त आय को उसकी व्यक्तिगत आय के रूप में माना जाना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि निर्धार्य ने विवादित परिसरों का अपनी पत्नी के पक्ष में अंतरण न किया होता, तो उन परिसरों से प्राप्त आय को धारा 9 के अंतर्गत उसकी व्यक्तिगत आय माना जाता। अब हमें यह देखना है कि क्या अपनी पत्नी के पक्ष में परिसरों के अंतरण के कारण,

उक्त आय को धारा 16(3)(क)(iii) के अंतर्गत निर्धार्य की आय नहीं माना जा सकता। धारा 16(3)(क)(iii) इस प्रकार है:

“किसी व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय, निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उसमें सम्मिलित की जाएगी—

(क) ऐसे व्यक्ति की पत्नी या अवयस्क संतान की आय का वह अंश, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हो—

(I)	x	x	x
(ii)	x	x	x

(iii) पति द्वारा अपनी पत्नी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरण की गई परिसंपत्तियों से, अन्यथा पर्याप्त प्रतिफल के लिए या पृथक रहने के किसी समझौते के संबंध में; या

(iv)	x	x	x
(बी)	x	x	x

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जिस अंतरण से हम संबद्ध हैं, वह एक प्रत्यक्ष अंतरण है। आगे यह भी स्वीकृत है कि विवादित अंतरण न तो किसी पर्याप्त या अन्य किसी प्रतिफल के लिए किया गया था और न ही वह पृथक रहने के किसी समझौते के संबंध में किया गया था। किंतु निर्धार्य का यह तर्क था—जिस तर्क को उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया—कि धारा 9(4)(क) केवल अविभाज्य संपदा में सम्मिलित किसी गृह संपत्ति से प्राप्त आय को धारक की व्यक्तिगत आय मानती है और वह भी केवल धारा 9 के प्रयोजन के लिए, न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए। दूसरे शब्दों में, यह आग्रह किया गया कि उक्त धारा एक विधिक कल्पना उत्पन्न करती है और वह विधिक कल्पना धारा 9 के प्रयोजन तक ही सीमित है। यह भी तर्क दिया गया कि किसी विधिक कल्पना का विस्तार उस प्रयोजन से परे नहीं किया जा सकता, जिसके लिए वह सृजित की गई है। निर्धार्य की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रतिपादित किया कि धारा 9(4)(क) में अंतर्निहित कल्पना को केवल धारा 9 के प्रयोजन के लिए ही विचार में लिया जा सकता है, न कि धारा 16(3) के प्रयोजन के लिए। यह तर्क हमें भ्रामक प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा 6 आय, लाभ और उपार्जन के विभिन्न शीर्षों को विन्यस्त करती है, जिन पर आयकर लगाया जाता है। वे हैं— (i) वेतन; (ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज; (iii) संपत्ति से आय; (iv) व्यवसाय, पेशा या वृत्ति के लाभ और उपार्जन; (v) अन्य स्रोतों से आय; (vi) पूंजीगत लाभ। धारा 3 को धारा 4 के साथ पढ़ने पर, किसी निर्धार्य की कुल आय, लाभ और उपार्जन पर—चाहे वे किसी भी स्रोत से प्राप्त या अर्जित हुए हों—कर आरोपित किया जाता है। “कुल आय” को

धारा 2(xv) में इस रूप में परिभाषित किया गया है कि उसका अर्थ धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित आय, लाभ और उपार्जन की कुल राशि है, जिसकी गणना अधिनियम में विन्यस्त पद्धति के अनुसार की जाती है।

धारा 9 आय के केवल एक शीर्ष से संबंधित है। निर्धार्य द्वारा अंतरण किए जाने से पूर्व, विधि की दृष्टि में, अपनी आय के निर्धारण के प्रयोजनार्थ तथा अपनी कुल आय की गणना में सम्मिलित करने के लिए, उसे उन परिसरों का स्वामी माना जाता। दूसरे शब्दों में, निर्धारण के प्रयोजन के लिए निर्धार्य की कुल आय का निर्धारण करते समय, वह आय भी गणना में सम्मिलित होती। अतः जब धारा 9(4)(क) "इस धारा के प्रयोजन के लिए" शब्दों का प्रयोग करती है, तो उसका वास्तविक अर्थ निर्धार्य की करयोग्य आय के निर्धारण के प्रयोजन से है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि किसी निर्धार्य पर आय के प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत पृथक्-पृथक् कर नहीं लगाया जाता। इसलिए, जब आय का कोई स्रोत, धारा 16(3)(क)(iii) में उल्लिखित दो प्रयोजनों को छोड़कर, निर्धार्य द्वारा अपनी पत्नी को अंतरण किया जाता है, तो उस स्रोत से प्राप्त आय को निर्धार्य की आय माना जाना आवश्यक है, क्योंकि निर्धार्य की परिसंपत्ति उसकी पत्नी को अंतरणित हो जाती है। ऐसा निष्कर्ष धारा 9 के अंतर्गत निर्मित विधिक कल्पना का उसके सृजन के प्रयोजन से परे विस्तार नहीं करता, बल्कि मात्र उस विधिक कल्पना को प्रभाव प्रदान करता है। यह सत्य है कि किसी विधिक कल्पना का उसके सृजन के प्रयोजन से परे विस्तार नहीं किया जाना चाहिए; किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि न्यायालय उस विधिक कल्पना को प्रभाव न दे।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(ii), जिसने अधिनियम की धारा 9(4) का स्थान लिया है, "इस धारा के प्रयोजन के लिए" शब्दों से प्रारंभ नहीं होती। इसके विपरीत, यह कहती है कि "अविभाज्य संपदा के धारक को उस संपदा में सम्मिलित समस्त संपत्तियों का व्यक्तिगत स्वामी माना जाएगा..."। निर्धार्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह विधि में परिवर्तन है और उसी आधार पर हमसे धारा 9(4)(क) की उसकी व्याख्या स्वीकार करने का आग्रह किया गया। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। हमारे मत में विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 27(ii) उस बात को स्पष्ट करती है जो मूल रूप से उस उपबंध में निहित थी।

इस निष्कर्ष के आलोक में कि प्रश्नगत गृह संपत्ति से प्राप्त आय को निर्धार्य की कुल आय में सम्मिलित किया जाना चाहिए, इसके आवश्यक परिणामी के रूप में यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्धार्य के आवासीय गृह का वार्षिक मूल्य, उसकी कुल आय का 10% पर परिकलित किया जाना है, जिसमें वह आय भी सम्मिलित है, जैसा कि पूर्व में अभिनिर्धारित किया गया है, जो उसकी पत्नी को अंतरण की गई गृह संपत्तियों से प्राप्त होती है, और जैसा कि धारा 9(2) के प्रथम उपबंध द्वारा अपेक्षित है।

उपरोक्त कारणों से, ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। प्रश्न संख्या 2 पर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उत्तर निरस्त किया जाता है और उसके स्थान पर हम उस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में तथा राजस्व के पक्ष में देते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर हमारा उत्तर भी सकारात्मक है तथा राजस्व के पक्ष में है। राजस्व को इस न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में वाद व्यय प्राप्त होगा।

अपील स्वीकार की गई

एस.बी.डब्लू.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।